राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 11654/2017**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| मुकेश शर्मा<br>2163, राजा शिवदासजी का रास्ता,<br>गणगौरी बाजार<br>जयपुर , राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>मुख्य पर्यावरण अभियन्ता<br>राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल<br>बोर्ड, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र<br>जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 08-03-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री बी.मल्हू, पर्यावरण अभियंता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 16-9-16 के द्वारा श्री शंकरलाल, सलाहकार के संविदा भुगतान आदि के संबंध में कतिपय सूचना चाही गई थी। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 8-12-16 के उपरान्त भी सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्रस्तुत कर कुछ अतिरिक्त सूचनाऐं चाही गई हैं जो कि सूचना के आवेदन में अंकित नहीं है। प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में पत्र दिनांक 9-12-16 के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बिन्दुवार सूचना निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 7-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपीलार्थी हस्तगत अपील में वही सचूना प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसके सूचना के आवेदन में अंकित है अन्यथा किसी भी सूचना के संबंध में स्पष्टीकरण अथवा सूचना की वांछना अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अथवा द्वितीय अपील में नहीं की जा सकती। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**